

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
(प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प ~~पेज~~.....)

प्रकरण संख्या 871/23

दिनांक 26.6.23

उनवान

श्री रामप्रसाद पुत्र छीतर बैरवा
सा0 देह खातेदार

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

—: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरतावेज पटवारी हल्का रावतखेड़ा भूअ.नि. जहाजपुर एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट / अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम तरनिया खेड़ा प. रावतखेड़ा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 के खाता संख्या 108 109 110 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जानी है।
1.	प्रार्थी की जाति	रामप्रसाद पुत्र छीतर चमार सा0 देह खातेदार	रामप्रसाद पुत्र छीतर बैरवा सा0 देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र छीतर बैरवा सा0 देह खातेदार
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला भीलवाड़ा